



2026:AHC:51006-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 4510 वर्ष 2026

देवेंद्र यादव और 2 अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : राजीव उपाध्याय

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : अनिल कुमार बिंद, जी. ए.

कोर्ट नंबर - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव,

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अनूप त्रिवेदी, राज्य की ओर से विद्वान एजीए श्री नितेश कुमार श्रीवास्तव की सहायता से विद्वान अपर महाधिवक्ता, और प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार बिंद को सुना, तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि वह इस रिट याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और इसे वापस लेना चाहते हैं।
3. श्री अनूप त्रिवेदी, विद्वान अपर महाधिवक्ता जिनकी सहायता राज्य की ओर से विद्वान एजीए श्री नितेश कुमार श्रीवास्तव तथा प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार बिंद ने की को उपर्युक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपरोक्त को देखते हुए, यह रिट याचिका वापस ली गई मानकर **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव,) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,)

12 मार्च, 2026

(वीकेजी)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।